कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, छठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2017/1353 लखनऊः दिनांक 11 सितम्बर 2017

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (N.E.E.T.) 2017 की काउंसिलिंग हेतु अनावंटित अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि के रूप में जमा किये गये डिमाण्ड ड्राफ्ट की वापसी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (N.E.E.T.) 2017 की काउंसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी धनराशि के रूप में राजकीय मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थान हेतु जमा किये गये रू0 20,000/– (रूपए बीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों हेतु रू0 2,00,000/– (रूपए दो लाख मात्र) के डिमाण्ड ड्राफ्ट अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय चक की काउंसिलिंग से पूर्व अभिलेखों के सत्यापन के समय जिस केन्द्र/मेडिकल कालेज में जमा किये गये है, की वापसी उन्ही केन्द्रों/मेडिकल कालेजों से निम्न प्रकियानुसार सम्पन्न की जाएगीः–

1. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा द्वितीय चक की काउंसिलिंग से पूर्व सिक्योरिटी धनराशि के रूप में रू0 20,000/– (रूपए बीस हजार मात्र) अथवा रू0 2,00,000/– (रूपए दो लाख मात्र) के डिमाण्ड ड्राफ्ट, जमा किये गये हैं, किन्तु उन्हे द्वितीय चक की काउंसिलिंग अथवा मॉपअप राउण्ड के माध्यम से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, के डिमाण्ड ड्राफ्ट निम्नानुसार वापस किये जाएंगेः–

क0 सं0	नीट 2017 में प्राप्तांक	डिमाण्ड ड्राफ्ट वापसी की तिथि
1	451 व उससे अधिक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी	दिनांक 13 सितम्बर 2017 से 14 सितम्बर 2017 के मध्य
2	321 से 450 तक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी	दिनांक 15 सितम्बर 2017 से 16 सितम्बर 2017 के मध्य
3	211 से 320 तक प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी	दिनांक 18 सितम्बर 2017 से 19 सितम्बर 2017 के मध्य
4	210 से सभी अर्ह अभ्यर्थी/सभी छूटे हुए अभ्यर्थी	दिनांक 20 सितम्बर 2017 से 21 सितम्बर 2017 के मध्य

2. अभ्यर्थियों को अपने डिमाण्ड ड्राफ्ट वापस प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित केन्द्रों/मेडिकल कालेजों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
3. यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त उल्लिखित समयावधि में अपने डिमाण्ड ड्राफ्ट वापसी हेतु सम्बन्धित केन्द्रों/मेडिकल कालेजों में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उनके द्वारा जमा किये गये डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 22 सितम्बर 2017 से 27 सितम्बर 2017 के मध्य अभ्यर्थी के डाक के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित कर दिये जाएंगे।
4. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने नीट 2017 के माध्यम से आवंटन/डाउनलोडिंग के पश्चात सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश नहीं लिया है अथवा प्रवेश लेने के पश्चात अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया है, के द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार जब्त कर ली जाएगी।
5. ऐसे अभ्यर्थी, जो नीट 2017 के माध्यम से आवंटन के पश्चात वर्तमान में आवंटित कालेजों में अध्ययनरत है, के द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धित कालेजों के प्रधानाचार्यों के माध्यम से अभ्यर्थियों को वापस की जाएगी।

महानिदेशक